न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल ,जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : सुनिता मीणा R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 06/20 पुराना, 181/23 नया दायर तारीख : 15.01.20

ज्ञानी देवी बनाम बंशीधर वगै0

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

उपस्थित : – श्री ललित कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी
श्री लक्ष्मण सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या1 /प्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक :– 18/07/25

1. इस आदेश के माध्यम से हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का निर्णय किया जा रहा है।
2. प्रतिवादी सं0 1 ने प्रा0पत्र आर्डर 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि वादीया ने वाद मान्य न्यायालय के समक्ष आराजी खसरा नम्बर 1270/2/1/1342 के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1432/1270 है। वाद पत्र में विवादित आराजी का वादिया खातेदार नहीं हे। वादीया ने जो वाद स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है। उक्त वाद को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत खातेदार ही प्रस्तुत कर सकता है। तथा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष न्यायालय से खातेदार ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए वादिया का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत वादिया का वाद प्रस्तुत करने का कानुनन अधिकार नहीं है तथा मान्य न्यायालय से कानुनन अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा वाद में वर्णित अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है इसलिए वादिया का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज के जाने योग्य है। वादिया का वाद राज0 टीनेन्सी एक्ट की धारा 188 के तहत वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से मान्य न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।
3. जिसमें नकल प्रा0 पत्र वादीगण अधिवक्ता को दिलावायी गई। अप्रार्थी/वादीगण अधिवक्ता जवाब न देकर सीधे बहस की । उभय पक्षो की प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई । दौराने बहस वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि उक्त वाद वादिया ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत पेश किया है। वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

आराजीयात में वादिया खातेदार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 188 की धारा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष खातेदार ही प्राप्त कर सकता है। वादिया का वाद विधि के द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया किया जावे।

4. वकील अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ति करते हुए तर्क दिया कि आराजी खसरा नम्बर 1270/2/1/1342 जिसके उसके खसरा नम्बर 1432/1270 में स्थित भूमि मन्नीराम पुत्र नाथूराम जाति नट के नाम गैर खातेदारी में दर्ज थी जिसे दिनांक 28.03.1992 को राशि 30000/—अक्षरे तीस हजार रूपये में वादिया ने जरिये इकरारनामा खरीद की थी। जिस पर वादिया का 28.03.1992 से कब्जा है। पटवारी हल्का किशनगढ रेनवाल के आदेश नोटिस दिनांक 11.09.1993 की पालना में प्रीमीयम राशि व उसका ब्याज भी वादिया के द्वारा ही जमा कराया है। इस प्रकार वादिया के द्वारा उक्त इकारनामा से खरीदशुद्धा भूमि पर प्रतिवादीगण को पांबद करवाने का अधिकार है। उनवानी वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। इस प्रकार उनवानी वाद विधि द्वारा बाधित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

5. बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत वाद में वादिया ने उक्त वाद जरिये इकारनामा के खरीद आराजीयात में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद करवाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 188 के तहत वाद पेश किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 188 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद रिकोर्डेड खातेदार ही ला सकता है। जब कि वादिया रिकोर्डेड खातेदार ही नहीं है। इस प्रकार उक्त वाद विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वाद आदेश 7 नियम 11 व 151 जा.दी. के प्रावधानों में आता है। प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 जाब्ता दीवानी पोषणीय व साबित होने के कारण वाद खारिज किया जाता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी पोषणीय व साबित होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 18/07/25 को सुनाया गया।

(सुनिता मीणा) आर०ए०स०
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ-रेनवाल सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक
बइजलास :– सुनिता मीणा आर.ए.एस.

ज्ञानी देवी बनाम बंशीधर वगै0

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
वाद सं0 06/2020 पुराना, 181./2023 नया

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री ललित कुमार शर्मा व हाजरी श्री लक्ष्मण सिंह मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रतिवादीया सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 साबित होने पर स्वीकार कर वादिया का वाद खारिज किए जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। निज ..... –..... मुबलिग.....–..... बाबत्.....–..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....–.. ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....–.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 07 सन् 2025 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते

(सुनिता मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना अधिवक्ता	–	–
महन्ताना अधिवक्ता	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते